**उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं समर्थन**

क्वींसलैंड सरकार विपदा से प्रभावित हुए लोगों तथा समुदायों दोनों के लिए अविलम्ब और अविरत समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गैर-सरकारी संगठनों से समर्थन एवं सहायताएं जैसे परामर्श, धर्मार्थ दान के रूप में दी गई वस्तुओं और सेवाओं, सामग्री सहायता और आवास सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सिफारिश की जा सकती है।

समुदाय, बाल सुरक्षा तथा विकलांगता सेवा विभाग के माध्यम से, विपदा प्रभावित लोगों को जो अपनी क्षतिपूर्ति स्वयं करने में असमर्थ है उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है।
 **आपातकालीन कठिनाई सहायता**

यह अनुदान तत्काल अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, मेडिकल आपूर्ति या अस्थायी आवास के लिए है। यह भुगतान एक व्यक्ति के लिए $180 या5 या उससे अधिक लोगों वाले परिवार के लिए $ 900 तक है।

**अत्यावश्यक सेवा कठिनाई सहायता**

यह अनुदान उन व्यक्तियों के लिए, जो एक या एक से अधिक अत्यावश्यक सेवाओं (जैसे कि बिजली, गैस, पानी या सीवरेज) के कारण 5 से अधिक दिनों के लिए प्रभावित हुए हैं तथा इस कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं और अपनी क्षतिपूर्ति स्वयं करने में असमर्थ है। यह भुगतान एक व्यक्ति के लिए $150 5 या उससे अधिक लोगों वाले परिवार के लिए $750 तक है।

**अत्यावश्यक घरेलू सामग्री अनुदान**

यह आय परीक्षण अनुदान उन लोगों के लिए, जिन्होंने मरम्मत और आवश्यक घरेलू सामग्री के लिए बीमा नही करवाया है या बीमा का दावा करने में असमर्थ है। यह भुगतान एक व्यक्ति के लिए $ 1765 या एक दम्पति या परिवार के लिए $5300 तक है।
 **सरंचनात्मक सहायता अनुदान**

यह आय परीक्षित अनुदान उन पात्र गृहस्वामियों के लिए है, जिन्होंने अपने घरों का किसी विपदा के कारण हुए नुकसान हेतु बीमा नही करवाया है । यह भुगतान एक व्यक्ति के लिए $ 10,995 या एक दम्पति या परिवार के लिए $14685 तक है।

**अत्यावश्यक सुरक्षा सेवाएं तथा पुर्न-कनेक्शन योजना**

इस योजना में गृहस्वामियों की अत्यावश्यकसेवाओं को फिर से बहाल करने (उदाहरणत: बिजली, गैस, पानी या सीवरेज तथा क्षतिग्रस्त सेवाओं की चीजों की मरम्मत) के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अधिकतम 4 अत्यावश्यक सेवाओं को दुबारा से कनेक्ट करने के लिए प्रत्येक मद पर अधिकतम $200 की राशि रखी गई है। इन सेवाओं संबंधी मदों की मरम्मत के लिए अधिकतम सुरक्षा सेवा राशि $ $4200 है।

**आवेदन कैसे करें**ऊपर दिए गए अनुदानों के लिए आवेदन या तो [www.communityrecovery.qld.gov.au](http://www.communityrecovery.qld.gov.au) पर ऑनलाइन या समुदाय वसूली हॉटलाइन 1800 173 349 पर फोन करके किया जा सकता है या समुदाय रिकवरी हब पर जाएं, यदि खुला है तो, जहां एक ग्राहक सेवा अधिकारी ऑनलाइन आवेदन को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। अधिक जानकारी के लिए [www.qld.gov.au/communityrecovery](http://www.qld.gov.au/communityrecovery) पर जाएं।